न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–2, रामपुर

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–488/2026

C.N.R.NO–UPRP01–003113–2026

रजि० सं०–834/2026

बब्लू उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री नौबत सिहं निवासी ग्राम हरौरा थाना बिलारी जिला मुरादाबाद

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त **बब्लू** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–102/2026 धारा–305(e), 331(4) बी०एन०एस० थाना शाहबाद जिला रामपुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ नेमचन्द का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा थाने की आख्या व केस डायरी का अवलोकन किया।

3. अभियोजन के अनुसार वादी आकिल हुसैन ने दिनांक 11.04.2026 को समय 03.12 बजे थाना शाहबाद जिला रामपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि दिनांक 09 व 10 की रात्रि में ग्राम पंचायत सचिवालय हिम्मतपुर (पंचायत भवन) के ताले तोड़कर 02 बैटरे इन्वेटर, CPU, USV, DVR (केमरा) व प्रिंटर HP (रंगीन) इत्यादि चोरी करके ले गये। सुबह करीब 07.30 बजे वहां से गुजर रहे राहगीरो ने पंचायत सहायक आकिल हुसैन को सूचना दी कि पंचायत भवन के ताले टूटे हुये है, जिसकी सूचना पुलिस को फोन करके दी।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि उसे झूंठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह दिनांक 13.05.2026 से जिला कारागार रामपुर में निरूद्ध है। उसने कोई चोरी नहीं की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। वह नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वह गरीब व मजदूर व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही पूर्व सजायाफ्ता है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना सहअभियुक्तों के बयानों के आधार पर प्रकाश में आया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा उसका लम्बा आपराधिक इतिहास भी है एवं जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त मौके से गिरफ्तार नहीं हुआ है और न ही उसके पास से कथित चोरी की कोई वस्तु बरामद होना दर्शायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त का नाम सहअभियुक्तों के बयानों के आधार पर प्रकाश में आया है। थाने की आख्यानुसार आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास होना बताया गया है, परन्तु पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य अभियोजन की ओर से प्रकट नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 13.05.2026 से जेल में निरूद्ध होना बताया गया हैं।

7. मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये गुण–दोष पर कोई अन्तिम मत व्यक्त किये बिना जमानत का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

8. आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा रूपये 50,000/–का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की एक जमानत सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1. आवेदक/अभियुक्त नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा मुकदमे के विचारण में सहयोग करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त साक्षी के उपस्थित रहने पर स्थगन की मांग नहीं करेगा।

9. आवेदक/अभियुक्त द्वारा उक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर यह जमानत आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

दिनांकः 11–06–2026

(डॉ० विजय कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–2, रामपुर
ID No UP 2413

Digitally signed by DR VIJAY KUMAR
Date: 2026.06.11 16:23:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court